

## **Disclaimer**

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

## **अस्वीकरण**

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

### पेपर-3 : प्रगत लेखा-परीक्षण एवं व्यावसायिक आचार-नीति

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है

शेष पांच में से किन्हीं चार के उत्तर दें

#### प्रश्न 1

- (क) एपी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पिछले चार वर्षों से एक्सपी लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं। एक्सपी लिमिटेड भारत में एफएमसीजी वस्तुओं के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में कार्यरत है। 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अपना विस्तार किया और भारत सहित यूरोप के कुछ देशों में “ई-कॉमर्स” क्षेत्र में सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्ध करना शुरू किया। ऑडिट करते समय एपी एंड एसोसिएट्स ने चालू वित्त वर्ष में पाया कि कंपनी ने अपने परिचालन को एक नए खंड के साथ-साथ नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी फैलाया है। एपी एंड एसोसिएट्स के पास इन अनेक व्यावसायिक गतिविधियों का लेखा-जोखा करने के लिए जरूरी विशेषज्ञता और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसलिए वह एंगेजमेंट और ग्राहक संबंध से हटना चाहता है। इन क्षेत्रों से हट जाने का निर्णय लेने से पहले उन मुद्दों पर चर्चा करें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। (5 अंक)
- (ख) कागज उत्पादन करने वाली कंपनी स्टार लिमिटेड के ऑडिट के दौरान, लेखा परीक्षक को “नकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोध (नेगेटिव कनफर्मेशन रिक्वेस्ट)” द्वारा बाह्य पुष्टिकरण के जरिए बैलेंस शीट में बकाया व्यापार देय राशि के लिए कोई पुष्टिकरण प्राप्त हुआ। व्यापार देय की सूची में, केवल एक को छोड़कर जो ₹20 लाख का पुराना बकाया है, कई लघु शेष राशियां, जिसके लिए कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुई थी। पुष्टिकरण प्रक्रिया से संबंधित लेखापरीक्षा के मानकों के बारे में टिप्पणी करें और बताएं कि पुष्टिकरण न मिलने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। (5 अंक)
- (ग) पर्यटन सेवाएँ मुहैया कराने वाली सरकारी कंपनी टीपी लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैधानिक लेखापरीक्षक से अपने खातों का लेखापरीक्षण कराने में विफल रही। उक्त अवधि के लिए आपको कर लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है और प्रबंधन ने गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रदान किए हैं जिनपर वार्षिक महासभा में सहमति बनी है। इसके बाद, वैधानिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षण करते हुए पाया कि अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास मुहैया करने में एक महत्वपूर्ण विवरण गलत है जिस कारण वित्तीय विवरणों को

संशोधित किया गया है। अब कंपनी आपसे अनुरोध करती है कि आप कर लेखापरीक्षण को संशोधित कर दें। आपको बताना है कि क्या कर लेखापरीक्षण रिपोर्ट को संशोधित किया जा सकता है, और यदि हाँ तो किस परिस्थिति में ? **(4 अंक)**

### उत्तर

(क) ग्राहक संबंधों और विशिष्ट अनुबंधों की स्वीकृति और सातत्य: एसक्यूसी 1 के अनुसार, "लेखापरीक्षण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना समीक्षा करने वाले, एवं अन्य एश्योरेंस व संबंधित सेवा अनुबंध में संलग्न फर्म के लिए क्वालिटी कंट्रोल", फर्म को ग्राहक संबंधों और विशिष्ट अनुबंधों की स्वीकृति और सातत्य के लिए नीतियां और प्रक्रियाएँ निर्धारित करनी चाहिए, जो कि उसे यथोचित एश्योरेंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि वह केवल उन्हीं संबंधों और कार्यों में संलग्न होगा या जारी रखेगा जहाँ वह सक्षम होगा और ऐसा करने के लिए उसके पास क्षमता, समय और संसाधन होंगे।

दिए गए मामले में, एक्सपी लिमिटेड के वैधानिक लेखापरीक्षक एपी एंड एसोसिएट्स ने चालू वित्त वर्ष में पाया कि कंपनी ने अपने परिचालन को एक नए खंड के साथ-साथ नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी फैलाया है। एपी एंड एसोसिएट्स के पास इसके लिए जरूरी विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए एपी एंड एसोसिएट्स अनुबंध और ग्राहक संबंध से हटना चाहते हैं। अनुबंध या ग्राहक संबंध दोनों से बाहर हटने पर नीतियाँ और प्रक्रियाएँ उन मुद्दों को का समाधान करती हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर फर्म द्वारा की जा सकने वाली उचित कार्रवाई, जिसके संबंध में ग्राहक के प्रबंधन के उचित स्तर और इसके प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के साथ चर्चा करना।
- यदि फर्म यह तय करे कि उक्त मामलों से बाहर निकलने का फैसला उचित है, तो ग्राहक प्रबंधन के उचित स्तर और प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ और अनुबंध अथवा अनुबंध तथा ग्राहक संबंध दोनों से हटने के कारणों पर चर्चा करना।
- बाहर निकलने के कारणों के साथ इस बात पर नियामक प्राधिकारों से विचार करना कि क्या उक्त मामलों में फर्म के बने रहना या फर्म के लिए अनुबंध या अनुबंध तथा ग्राहक संबंध दोनों से बाहर निकलने की रिपोर्ट करना व्यावसायिक, विनियामक या कानूनी अनिवार्यता है।
- महत्वपूर्ण मामलों, परामर्शों, निष्कर्षों तथा निष्कर्षों के आधार का प्रलेखन।

एपी एंड एसोसिएट्स को उक्त मामलों से बाहर निकलने का निर्णय लेने से पहले उपरोक्त समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

(ख) **बाह्य पुष्टिकरण (एक्सटर्नल कनफर्मेशन):** एसए 505, “बाह्य पुष्टिकरण” के अनुसार, नकारात्मक पुष्टिकरण एक अनुरोध है कि पुष्टिकरण करने वाला पक्ष सीधे लेखापरीक्षक को केवल तभी प्रतिक्रिया देता है जब पुष्टिकरण पक्ष अनुरोध में दी गई जानकारी से असहमत हो। नकारात्मक पुष्टिकरण सकारात्मक पुष्टिकरण की तुलना में कम अनुप्रेरक लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्रदान करती है।

नकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोध पर अनुक्रिया प्राप्त करने में विफलता स्पष्ट रूप से अनुरोध में दी गई जानकारी की सटीकता के पुष्टिकरण अनुरोध या सत्यापन का आशय पुष्टिकरण पक्ष द्वारा प्राप्ति नहीं होता।

इस तरह, एक नकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोध का प्रत्युत्तर देने के लिए पुष्टिकरण पक्ष की विफलता सकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोध की अनुक्रिया की तुलना में काफी कम अनुप्रेरक लेखापरीक्षकीय साक्ष्य देती है।

जब अनुरोध में दी गई जानकारी उनके पक्ष में नहीं होती है, अथवा प्रतिक्रिया देने की संभावना कम होती है, तो पुष्टिकरण पक्ष भी पुष्टिकरण अनुरोध के साथ अपनी असहमति का संकेत देते हुए अनुक्रिया दे सकते हैं।

यहां इस मामले में, लेखापरीक्षक ने स्टार लिमिटेड का लेखापरीक्षण करते समय बैलेंस शीट में बकाया राशि वाले व्यापार देय का अनुरोध करते हुए नकारात्मक पुष्टिकरण भेजा। 20 लाख के पुराने बकाया (आउटस्टैंडिंग) में से एक ने जमा शेष पर पुष्टि नहीं भेजी है। उत्तर नहीं देने पर, लेखापरीक्षक बाद के नकद भुगतानों या तीसरे पक्षों से पत्राचार, और अन्य प्रलेखों, जैसे माल प्राप्त होने की टिप्पणियों की जांच कर सकता है। इसके अलावा, नकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोध के लिए गैर-प्रतिक्रिया का मतलब यह नहीं है कि कुछ जानकारी गलत दी गई है क्योंकि नकारात्मक पुष्टिकरण अनुरोध केवल लेखापरीक्षक को जवाब देना है, यदि पुष्टिकरण पक्ष अनुरोध में दी गई जानकारी से असहमत होता है।

(ग) **कर लेखापरीक्षण रिपोर्ट का पुनरावलोकन:** इस अधिसूचना के द्वारा, नियम 6G में सीबीडीटी द्वारा संशोधन किया गया है कि प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षण रिपोर्ट को जो विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखापरीक्षण की संशोधित रिपोर्ट प्राप्त करके व्यक्ति द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यदि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है जो धारा 40 या धारा 43B के तहत अस्वीकृति की पुनर्गणना को जरूरी बनाता है। उक्त संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उस निर्धारण वर्ष के अंत से पहले प्रस्तुत करना चाहिए जिससे रिपोर्ट संबंधित है।

साथ ही, निम्नलिखित परिस्थितियों में खातों को संशोधित किए जाने पर कर लेखापरीक्षक को अपनी कर लेखापरीक्षण रिपोर्ट को भी संशोधित करना पड़ सकता है।

- (i) वार्षिक आम बैठक में इसे अपनाने के बाद कंपनी के अकाउंट्स का पुनरावलोकन।
- (ii) पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून में बदलाव।
- (iii) कानून की व्याख्या में बदलाव, जैसे कि सीबीडीटी सर्कुलर, अधिसूचना, निर्णय आदि में।

पिछली रिपोर्ट के संदर्भ के साथ ऐसे पुनरीक्षण के लिए कारण बताते हुएकर लेखापरीक्षक को कहना चाहिए कि यह पुनरीक्षित रिपोर्ट है।

टीपी लिमिटेड के प्रस्तुत मामले में, एक सरकारी कंपनी अपने खातों का वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण कराने में विफल रही, इसलिए प्रबंधन द्वारा कर लेखापरीक्षण के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रदान किए गए जिन्हें एजीएम में अंगीकृत किया गया है। यद्यपि, वैधानिक लेखापरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अचल संपत्तियों पर मूल्यहास प्रस्तुत करने में एक महत्वपूर्ण गलत विवरण था, उसी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को संशोधित किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कर लेखा परीक्षक को अपनी कर लेखापरीक्षण रिपोर्ट को संशोधित करना जरूरी है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में अंगीकार होने के बाद यह कंपनी के खातों का पुनरीक्षण है।

## प्रश्न 2

- (क) सीए, बी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एसआरटी लिमिटेड का लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। लेखापरीक्षण की योजना बनाने के दौरान, सीए. बी समग्र रूप से वित्तीय विवरण के लिए मटीरियलिटी की अवधारणा लागू करना चाहता है। कृपया उसका उन कारकों के संदर्भ में मार्गदर्शन करें जो इस उद्देश्य के लिए उचित मानक की पहचान को प्रभावित कर सकते हैं।

यदि एसआरटी लिमिटेड निम्नांकित कार्यों से जुड़ा है, तो सीए, बी द्वारा कौन सा मानक अपनाना चाहिए:

- (i) एयरकंडीशनर के निर्माण और बिक्री में और उसे नियमित मुनाफा हो रहा है।
- (ii) बड़े अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में और पिछले दो वित्तीय वर्षों में महामारी के कारण उसे घाटा उठाना पड़ा।

(5 अंक)

- (ख) एबीसी लिमिटेड के पास बीबीबी लिमिटेड की 51% हिस्सेदारी, टीटीटी लिमिटेड की 63% हिस्सेदारी है। विभिन्न सूचना और स्पष्टीकरण हैं जो संबंधित कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरणों में बताए हैं। बीसी लिमिटेड के प्रबंधन ने समेकन के समय टिप्पणियों में दी गई सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को भी समेकित किया है। मुख्य लेखापरीक्षक मानते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में केवल वे जानकारियाँ और स्पष्टीकरण शामिल होनी चाहिए जो समूह स्तर पर प्रासंगिक हों। कृपया किन्हीं पांच पहलुओं का उल्लेख करें, जो मूल और अनुषंगी कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं, उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

(5 अंक)

- (ग) व्हिसल ब्लोअर से मिली शिकायत के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा आपसे एक लिस्टेड निकाय का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है। फॉरेंसिक ऑडिट के शुरू होने से पहले, आप और आपकी टीम दायरे से संबंधित विभिन्न आयामों और की जाने वाली प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट और अन्य ऑडिट के बीच अंतर के बारे में चर्चा की क्या बातें होंगी?

(4 अंक)

**उत्तर**

- (क) समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए मटेरियलिटी (तथ्यात्मकता) निर्धारित करने में बेंचमार्क का इस्तेमाल: एसए 320 के अनुसार, मटेरियलिटी का निर्धारण करने में पेशेवर निर्णय का इस्तेमाल शामिल है। समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए मटेरियलिटी का निर्धारण करने में प्रारंभिक बिंदु के रूप में प्रतिशत को प्रायः एक चयनित बेंचमार्क पर लागू किया जाता।

सही बेंचमार्क की पहचान को प्रभावित करने वाली चीजों में निम्नांकित बातें शामिल होती हैं:

- वित्तीय विवरणों की बातें (उदाहरण के लिए, परिसंपत्ति, देनदारियां, इक्विटी, राजस्व, व्यय);
- क्या ऐसे मद हैं, जिन पर विशेष इकाई के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं का ध्यान केंद्रित होता है (उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन के उद्देश्य से लाभ, राजस्व या नेट परिसंपत्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं);
- इकाई की प्रकृति, जहाँ इकाई अपने जीवन चक्र में हो, और उद्योग और आर्थिक वातावरण जिसमें इकाई परिचालित होती है;
- इकाई के स्वामित्व का ढांचा और जिस तरह से इसे फंड किया जाता है (उदाहरण के लिए, यदि किसी इकाई को इक्विटी के बजाय केवल ऋण से फंड दिया जाता है, तो

उपयोगकर्ता परिसंपत्ति पर अधिक जोर दे सकते हैं, और इकाई की कमाई के मुकाबले उन पर दावा कर सकते हैं); और

- बेंचमार्क की आपेक्षिक अस्थिरता।

किसी चयनित बेंचमार्क पर लागू होने वाले प्रतिशत को तय करने में पेशेवर निर्णय जुड़ा होता है। प्रतिशत और चुने गए बेंचमार्क के बीच एक संबंध होता है, जैसे कि निरंतर परिचालनों से कर पूर्व लाभ पर लागू प्रतिशत आमतौर से कुल राजस्व पर लागू प्रतिशत से अधिक होगा।

यदि एसआरटी लिमिटेड एयर कंडीशनर के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है, और उसे नियमित मुनाफा हो रहा है: सीए. बी, लेखा परीक्षक कर/आय से पूर्व मुनाफा पर विचार कर सकता है।

यदि एसआरटी लिमिटेड बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है और महामारी के कारण पिछले दो वित्तीय वर्षों में उसे घाटा हुआ है: लेखा परीक्षक, सीए, बी, राजस्व या सकल लाभ को बेंचमार्किंग के रूप में मान सकता है। अन्यथा, सीए बी, लेखा-परीक्षक पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम/प्रॉजेक्ट्स करने वाली संस्थाओं के ऑडिट के लिए प्रासंगिक मानदंडों पर विचार कर सकता है, कुल लागत या नेट लागत (व्यय रहित राजस्व या व्यय घटाव प्राप्तियाँ) उस विशेष प्रोग्राम/प्रॉजेक्ट गतिविधि के लिए सही बेंचमार्क हो सकते हैं। जहां किसी निकाय के पास परिसंपत्ति की कस्टडी हो, तो वह परिसंपत्ति एक उपयुक्त बेंचमार्क हो सकती है।

- (ख) भारतीय लेखा मानक 110 जानकारी की वह सूची नहीं देता है, जो घटकों के अलग-अलग वित्तीय विवरण का हिस्सा है, लेकिन नोटों और समेकित वित्तीय विवरणों की अन्य व्याख्यात्मक सामग्री में रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है, हालांकि, सेक्शन 129(4) के आधार पर और एमसीए द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह माना जा सकता है कि भारतीय लेखा मानक के तहत समेकित वित्तीय विवरणों में भी, केवल वे प्रकटीकरण दिए जाने चाहिए जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक हों।

ऊपर के गई चर्चा के आधार पर, कंपनियों के मामले में, मूल और/या अनुषंगी कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के नोट्स में दी गई जानकारी को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

- (i) वह स्रोत जिससे बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, जैसे कि लाभ या रिजर्व्स का प्रतिभूति प्रीमियम खाते से।

- (ii) इश्यू में से इस्तेमाल न की गई सभी राशियों का डिस्कलोजर, उस रूप को इंगित करता है, जिसमें इस तरह के अप्रयुक्त धन का निवेश किया गया हो।
- (iii) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।
- (iv) निवेश का विवरण (चाहे "वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय संपत्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में दिखाया गया हो) जो ट्रेड निवेश और अन्य निवेशों को अलग-अलग वर्गीकृत करते हों, कॉर्पोरेट निकायों के नाम दिखाते हों (एक ही प्रबंधन के तहत के निगमित निकायों के नामों को अलग-अलग इंगित करते हुए), जिसके शेयरों या डिबेंचर में, निवेश किया गया है (सभी निवेशों समेत, चाहे मौजूदा हो या नहीं, उस तारीख के बाद किया गया हो जिस पर पिछली बैलेंस शीट बनाई गई हो) और ऐसे प्रत्येक कॉर्पोरेट निकाय में इस तरह से किए गए निवेश की प्रकृति और सीमा बताता हो।
- (v) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ बेसिस गणना किए गए आयातों का मूल्य:
  - (क) कच्चा माल;
  - (ख) पुर्जे और स्पेयर पार्ट्स;
  - (ग) पूंजीगत माल।
- (vi) वित्तीय वर्ष के दौरान रॉयल्टी, जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय।
- (vii) वित्तीय वर्ष के दौरान खपत किए गए सभी आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और पुर्जों का मूल्य और सभी स्वदेशी कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और ऐसे ही खपत किए गए पुर्जों का मूल्य और प्रत्येक के कुल खपत का प्रतिशत।
- (viii) लाभांश के कारण विदेशी मुद्रा में वर्ष के दौरान विप्रेषित राशि, अनिवासी शेयरधारकों की संख्या के विशिष्ट उल्लेख के साथ, उनके द्वारा होल्ड शेयरों की संख्या जिस पर लाभांश बकाया था और जिस वर्ष से लाभांश संबंधित था।
- (ix) विदेशी मुद्रा में आय निम्नांकित मदों के तहत वर्गीकृत किया गया, अर्थात्:
  - (क) माल के निर्यात की गणना एफओबी बेसिस पर की गई;
  - (ख) रॉयल्टी, जानकारी, प्रोफेशनल और परामर्श शुल्क;
  - (ग) ब्याज और लाभांश;
  - (घ) अन्य आय, जो अपनी प्रकृति का संकेत करती हो।



(ग) फॉरेंसिक लेखा-परीक्षण और अन्य लेखा-परीक्षण के बीच अंतर इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	अन्य लेखा-परीक्षण	फॉरेंसिक लेखा-परीक्षण
1.	उद्देश्य	'सही एवं निष्पक्ष' प्रस्तुति के रूप में एक राय प्रकट करें	'सही एवं निष्पक्ष' प्रस्तुति के रूप में एक राय प्रकट करें
2.	तकनीकियां	मूल एवं अनुपालन। नमूना आधारित	अनुसंधानात्मक, अहम या गहन जांच
3.	अवधि	आमतौर पर एक खास अकाउंटिंग अवधि के लिए।	ऐसी कोई सीमा नहीं
4.	स्टॉक का सत्यापन, परिसंपत्तियों, प्रावधानों, देनदारियों इत्यादि के प्राप्ति योग्य मूल्य का अनुमान।	प्रबंधन प्रमाणपत्र/प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर निर्भर करता है	जहाँ गबन का संदेह हो, संदेहास्पद / चयनित मदों का स्वतंत्र/सत्यापन।
5.	ऑफ बैलेंस शीट आइटम (जैसे अनुबंध आदि)	अंकीय सटीकता एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।	इन ट्रांजैक्शनों/कॉन्ट्रैक्टों के विनियामक और स्वामित्व की जांच की जाती है।
6.	यदि कोई प्रतिकूल निष्कर्ष हो	परिमाणीकरण के साथ/बगैर अभिव्यक्त की गई नकारात्मक राय या योग्य राय	प्रयोजन के आधार पर धोखाधड़ी के प्रभाव और अपराधियों की पहचान का कानूनी निर्धारण।

### प्रश्न 3

(क) एबीसी लिमिटेड रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापार और निर्माण के कारोबार से जुड़ा है। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास प्राप्य खातों की बड़ी शेष राशि है, जिसका मूल्यांकन लेखा-परीक्षण योजना चरण में उच्च जोखिम क्षेत्र के रूप में किया गया है। 31 मार्च, 2022 को

समाप्त हुए वर्ष के लिए, खातों की प्राप्य राशियों के मूल्यांकन को लेकर वैधानिक लेखा-परीक्षक ने प्राप्य खातों की आयु बढ़ने की सटीकता की जांच और संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए किए गए प्रावधान को आंतरिक लेखा-परीक्षक को सौंपा है। कृपया वैधानिक लेखा-परीक्षक को उन क्षेत्रों की सलाह दें, जिनमें आंतरिक लेखा-परीक्षक से सीधी सहायता नहीं ली जा सकती है। साथ ही, इस परिदृश्य में टिप्पणी करें कि क्या वैधानिक लेखा-परीक्षक आंतरिक लेखा-परीक्षक की मदद ले सकता है। **(5 अंक)**

(ख) सीए, एम एक लिमिटेड कंपनी का वैधानिक लेखा-परीक्षण शुरू कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर उत्पादों के कारोबार और सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने में लगी हुई है। सीए, एम नियंत्रक परिवेश का मूल्यांकन कर रहा था और नोट किया कि स्थापित आंतरिक नियंत्रण एक स्वचालित परिवेश में काम कर रहे हैं। स्वचालित परिवेश में लेखा-परीक्षण करते समय, योजना, निष्पादन और समापन चरणों के दौरान अपने लेखा-परीक्षण दृष्टिकोण को लेकर सीए, एम के विचार हेतु किन्हीं पांच मुख्य बिंदुओं की गणना करें। **(5 अंक)**

(ग) एमटी. पी, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, जिन्होंने इस आधार पर अपने व्यावसायिक कार्य के लिए बही-खाते का रखरखाव नहीं किया कि उसकी आय का आकलन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एडीए के तहत किया जाता है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 एवं उसकी अनुसूचियों के संदर्भ में टिप्पणी करें। **(4 अंक)**

#### उत्तर

(क) **आंतरिक लेखा-परीक्षक से प्रत्यक्ष सहायता:** एसए 610 "आंतरिक लेखा-परीक्षक के कार्य का उपयोग करना" के अनुसार, बाहरी लेखा-परीक्षक उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षकों की मदद नहीं लेगा:

- (i) जहाँ लेखा-परीक्षण में अहम फैसले शामिल हों;
- (ii) तथ्यगत मिथ्या विवरण के उच्च मूल्यांकन जोखिमों से संबंधित जहाँ प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को निष्पादित करने या एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक निर्णय सीमित से अधिक हो;
- (iii) उस कार्य से संबंधित जिसके साथ आंतरिक लेखा-परीक्षक शामिल रहे हैं एवं जो पहले से ही प्रबंधन को बताया जा चुका हो, या किया जाएगा या जिन्हें आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य द्वारा शासन से प्रभावित किया गया हो; या
- (iv) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य और इसके कार्य अथवा प्रत्यक्ष सहायता में इस्तेमाल को लेकर बाहरी लेखा परीक्षक इस एसए के अनुसार निर्णय लेता हो।

इसलिए, जुड़े निर्णय की मात्रा, और वास्तविक सहायता प्रदान करने वाले आंतरिक लेखा-परीक्षकों को सौंपे जा सकने वाले कार्य का निर्धारण करने में तथ्यगत गलत विवरण देने का जोखिम भी जुड़ा हो।

एबीसी लिमिटेड की दी गई स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ प्राप्य विवरणों के मूल्यांकन का आकलन बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में किया जाता है, बाहरी लेखा-परीक्षक प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने वाले आंतरिक लेखा-परीक्षक को आयु बढ़ने की सटीकता की जांच सौंप सकता है।

हालांकि, चूंकि आयु बढ़ने के आधार पर प्रावधान की पर्याप्तता के मूल्यांकन में सीमित निर्णय से अधिक शामिल होगा, इसलिए आगे की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने वाले आंतरिक लेखा-परीक्षक को सौंपना उचित नहीं होगा।

(ख) एक स्वचालित परिवेश में नियंत्रण-आधारित लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा विधि को तीन व्यापक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें योजना, निष्पादन और समापन शामिल होते हैं। इस विधि में, स्वचालित परिवेश पर विचार करना नीचे दिए गए प्रत्येक चरण में आवश्यक होगा:

#### योजना चरण:

- जोखिम मूल्यांकन के दौरान, लेखा-परीक्षक को कंपनी में आईटी सिस्टम के इस्तेमाल से पैदा होने वाले जोखिम पर विचार करना चाहिए;
- व्यवसाय प्रक्रिया की समझ हासिल करते समय और पूर्वाभ्यास करते समय आईटी सिस्टमों और एप्लिकेशनों के इस्तेमाल पर विचार किया जाना चाहिए;

#### निष्पादन चरण:

- निकाय स्तर के नियंत्रण का मूल्यांकन करते समय आईटी गवर्नेंस से जुड़े पहलुओं को समझने और उनकी समीक्षा करनी होती है;
- कर्तव्यों के वर्गीकरण, सामान्य आईटी कंट्रोल्स और एप्लिकेशनों समेत व्यापक नियंत्रणों पर विचार और समीक्षा की जानी चाहिए;
- परीक्षण चरण के दौरान, सामान्य आईटी कंट्रोल्स के नतीजे, टेस्टिंग की प्रकृति, समय और सीमा को प्रभावित करेंगे;
- आईटी सिस्टम और एप्लिकेशन के जरिए जनरेट हुई निकाय (आईहीई) द्वारा निर्मित रिपोर्ट और सूचना का परीक्षण करते समय;

**समापन चरण:**

- समापन चरण में, नियंत्रण कमियों के आकलन हेतु डेटा विश्लेषण और सीएएटी के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ सकती है।

(ग) **बही-खाते का रखरखाव:** परिषद के सामान्य दिशा-निर्देश 2008 के अनुसार, बही-खातों रखरखाव पर अध्याय 5 के तहत, यह बताया गया है कि यदि कार्यरत कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट (लेखाकार) या चार्टर्ड अकाउंटेंट का फ़र्म जिसका वह पार्टनर है, अपने/उसके पेशेवर प्रैक्टिस, कैश बुक और लेजर सहित उचित बही-खातों को बनाए रखने और संचालित करने में विफल रहता है, तो उसे व्यावसायिक कदाचार का दोषी माना जाता है।

उसी अनुसार, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एडीए लागू होती है या नहीं।

**निष्कर्ष:** इसलिए, श्री पी व्यावसायिक कदाचार के दोषी हैं।

**प्रश्न 4**

- (क) आपको एक राष्ट्रीयकृत बैंक-एलओसी बैंक के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एलओसी बैंक अपने खाता-धारकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देता है। बैंक इस तथ्य से अवगत है कि क्रेडिट कार्ड के स्टोरेज और निर्गमन पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। आप बैंक के क्रेडिट कार्ड परिचालन के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आकलन कैसे करेंगे ? **(5 अंक)**
- (ख) पेशेवर अकाउंटेंट्स को कुछ उन बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना होता है, जो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की आचार संहिता में मौजूद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पालन किए जाने वाले पांच सिद्धांतों में से हरेक को संक्षेप में बताएं ? **(5 अंक)**
- (ग) निकाय स्तर पर जोखिमों और नियंत्रण का मूल्यांकन करते समय, ऑडिटर को इकाई में प्रचलित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निउकाय स्तर के नियंत्रण का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे नियंत्रण क्या होते हैं, कुछ उदाहरणों के साथ उन्हें समझाइए। **(4 अंक)**

**उत्तर**

- (क) **बैंकों में आंतरिक नियंत्रण की क्रेडिट कार्ड परिचालन प्रणाली:** ऑडिटर (लेखा परीक्षक) को एलओसी बैंक के क्रेडिट कार्ड परिचालन के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन नीचे बताए अनुसार करना चाहिए:
- समुचित रूप से अच्छे क्रेडिट आकलन के साथ ऐप्लिकेशनों की प्रभावी जांच होनी चाहिए।

- कार्ड के भंडारण और कार्ड जारी करने पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए।
  - एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, जिससे यदि तय की जाने वाली राशि कार्ड धारक की कुल सीमा के एक निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो मर्चेन्ट क्रेडिट-कार्ड धारक की अप्रयुक्त सीमा की स्थिति की पुष्टि बैंक से सेटलमेंट स्वीकार करने से पहले करता हो।
  - मर्चेन्ट्स द्वारा क्रेडिट कार्ड के जरिए स्वीकार किए गए सभी सेटलमेंट्स की शीघ्र सूचना देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
  - मर्चेन्ट्स को कार्डों की स्वीकृति की वैधता के सत्यापन के बाद ही मर्चेन्ट्स को प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
  - सभी प्रतिपूर्ति (कमीशन समेत) को तत्काल ग्राहक के खाते में डाला जाना चाहिए।
  - यह ध्यान रखने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए कि स्टेटमेंट्स नियमित रूप से और तत्काल ग्राहक को भेजे जाते हों।
  - ग्राहकों के भुगतानों की निगरानी और आगे की कार्रवाई के लिए भी एक प्रणाली होनी चाहिए।
  - एक उचित अवधि से अधिक बकाया भुगतान की पहचान की जानी चाहिए और उस पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों के लिए, बढ़ते नुकसान से बचने के लिए मर्चेन्ट्स को समय-समय पर बुलेटिन के माध्यम से सूचित करके क्रेडिट बंद कर देना चाहिए।
  - क्रेडिट कार्ड धारकों के खातों की सावधिक समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस अनुरूप, यदि जरूरत पड़े तो ग्राहकों की सीमा को संशोधित किया जा सकता है। इस समीक्षा में संदेहास्पद राशि का निर्धारण और उससे जुड़े प्रावधान भी शामिल होने चाहिए।
- (ख) **मौलिक सिद्धांत:** अकाउंटेंसी पेशे के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पेशेवर अकाउंटेंट को कई जरूरी शर्तों या मौलिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। आईसीएआई की आचार संहिता में बताए गए मौलिक सिद्धांत, जिनका अनुपालन किया जाना होता है, नीचे बताए गए हैं :
- (i) **सत्यनिष्ठा** - एक पेशेवर अकाउंटेंट को सत्यनिष्ठा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उस अकाउंटेंट को सभी पेशेवर और व्यावसायिक संबंधों में बेबाक और ईमानदार होना पड़ेगा।

- (ii) **निष्पक्षता** - किसी पेशेवर अकाउंटेंट को निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना होगा, जिसके लिए अकाउंटेंट को पक्षपात, हितों के टकराव या दूसरों के अनुचित प्रभाव के कारण पेशेवर या व्यावसायिक फैसले से समझौता न करना पड़ता हो।
- (iii) **व्यावसायिक योग्यता और उचित सावधानी** - एक पेशेवर अकाउंटेंट पेशेवर योग्यता और उचित सावधानी के सिद्धांत का पालन करेगा, जिसके लिए अकाउंटेंट को निम्नांकित बातों को पूरा करना होगा:
- (क) यह ध्यान रखने के लिए आवश्यक स्तर पर पेशेवर जानकारी और कुशलता को हासिल करना और उन्हें बनाए रखना कि ग्राहक या नियुक्त करने वाला संगठन वर्तमान तकनीकी और पेशेवर मानकों और प्रासंगिक कानून के आधार पर योग्य पेशेवर सेवा प्राप्त करता है; और
- (ख) लागू होने वाले तकनीकी और पेशेवर मानकों के अनुसार यथोचित रूप से कार्य करें।
- (iv) **गोपनीयता** - एक पेशेवर अकाउंटेंट (लेखाकार) गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करेगा, जिसके लिए उस अकाउंटेंट को पेशेवर और नौकरी के संबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करना होगा।
- (v) **पेशेवराना व्यवहार** - पेशेवर लेखाकार को पेशेवर व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसके लिए उस अकाउंटेंट को संबद्ध कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा है और ऐसे किसी भी आचरण से उसे बचना होगा, जिसके बारे में अकाउंटेंट अवगत हो या उसे पता हो कि उससे पेशे की बदनामी हो सकती है।
- ऐसा आचरण जो पेशे को बदनाम कर सकता है, उसमें उस किस्म का आचरण शामिल है, जिसमें एक उचित और संसूचित तीसरे पक्ष के इस प्रकार कार्य करने की संभावना होगी जिससे उस व्यवसाय की उत्तम प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।
- एक पेशेवर लेखाकार जानबूझकर किसी भी उस नौकरी, व्यवसाय या गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो पेशे की सत्य-निष्ठा, निष्पक्षता या उत्तम प्रतिष्ठा को धूमिल करता हो या बिगाड़ सकता हो और इसलिए यह मौलिक सिद्धांतों के साथ प्रतिकूल होगा।

(ग) निकाय स्तर के नियंत्रण: प्रत्यक्ष निकाय स्तर के नियंत्रण और अप्रत्यक्ष निकाय स्तर के नियंत्रण होते हैं।

- (i) प्रत्यक्ष ईएलसीज़ (ELCs) व्यवसाय गतिविधि या लेन-देन स्तर से ऊंचे स्तर पर संचालित होते हैं जैसे कि व्यवसाय प्रक्रिया या उप-प्रक्रिया स्तर, अकाउंट बैलेंस स्तर, सटीकता के समुचित स्तर पर, समयबद्ध तरीके से गलत विवरण को रोकना, पता लगाना या सही करना।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- व्यवसाय प्रदर्शन की समीक्षा ;
- इंटर्नल ऑडिट फंक्शन द्वारा नियंत्रण गतिविधियों की प्रभावशीलता की निगरानी;

- (ii) अप्रत्यक्ष ईएलसीज़ (ELCs) किसी विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन या खाते की बैलेंस राशि से संबंधित नहीं होते हैं और इसलिए, गलत विवरणों को रोक नहीं सकते या उनका पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि, वे प्रत्यक्ष ईएलसी और अन्य नियंत्रण गतिविधियों के प्रभावी संचालन में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं।

उदाहरणों में शामिल हैं :

- कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता नीतियाँ;
- मानव संसाधन नीतियाँ;
- कर्मचारी जॉब भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ।

## प्रश्न 5

- (क) सीए, उमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरजे लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उत्पादन करती है। लेखा-परीक्षा के दौरान, सी.ए. उमा ने संबंधित पक्ष के ट्रांजैक्शन और ढांचागत वित्तीय सौदों के गलत प्रकटीकरण के कुछ लेखापरीक्षा प्रमाण हासिल किए, जिन पर पुष्टि के साथ विचार नहीं किया गया, जिससे वित्तीय विवरणों में गलत विवरण दिए गए। चर्चा करें कि सीए उमा को ऑडिटर की रिपोर्ट की स्थिति से कैसे निपटना चाहिए और वे विभिन्न विकल्प कौन से हैं जिनके ऊपर विचार किया जा सकता है ?

(5 अंक)

- (ख) एक्सएमपी प्रा. लिमिटेड के वैधानिक लेखा-परीक्षक के रूप में आरएस एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के इस्तीफे के बाद आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरएस एंड कंपनी की कंपनी के अकाउंटिंग

मामलों को लेकर कुछ चिंताएं थीं, जिसके कारण लेऑडिटर्स को बदलना पड़ा था। इस्तीफे और नियुक्ति के संबंध में कंपनी द्वारा धारा 139 और 140 के तहत सभी अनुपालन पूरे किए जाते हैं।

लेखा-परीक्षा के दौरान, आपके ध्यान में आया कि आयकर विभाग द्वारा 7 दिसंबर, 2021 को एक सर्वे संपन्न किया गया था और इस विभाग ने वर्ष 2020-21 में अलग-अलग तारीखों पर बगैर रिकॉर्ड वाली 5 लाख रुपये की बिक्री का पता लगाया था। एक्सएमपी प्रा. लिमिटेड ने इस तरह की आय से सोना खरीदा है और ये लेनदेन अभिलेखित नहीं किए गए हैं। कंपनी ने अपनी गलती मान ली और आकलन अधिकारी के समक्ष इन लेनदेन का खुलासा किया और उस पर करों का भुगतान कर दिया। हालांकि, आयकर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के बाद भी कंपनी ने उन लेनदेन को बही-खाते में दर्ज नहीं किया है।

आप ऊपर के मामलों को सीएआरओ (CARO) में रिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रबंधन ने आपसे अनुरोध किया है कि आप उन्हें रिपोर्ट न करें। प्रबंधन के प्रति लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया और शेयरधारकों को उसकी रिपोर्टिंग जरूरतों के बारे में टिप्पणी करें। **(5 अंक)**

- (ग) एनआर लिमिटेड, बच्चों के कपड़ों का एक अग्रणी निर्माता है। इसने टीपी लिमिटेड का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। टीपी लिमिटेड वर्तमान में महिलाओं के कपड़ों का निर्माण करता है। एनआर लिमिटेड ने आपको यथोचित प्रयास करने और टीपी लिमिटेड का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा है। टीपी लिमिटेड का मूल्यांकन कंपनी की भविष्य की मंटेन की जाने योग्य बिक्री पर निर्भर है। उन बातों पर चर्चा करें जिन पर आप टीपी लिमिटेड की भविष्य में मंटेन रखने योग्य बिक्री का आकलन करने पर विचार करेंगे। **(4 अंक)**

उत्तर

- (क) ऑडिट के प्रमाण में असंगतता के मामले में ऑडिटर के कर्तव्य: एसए 705 "स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन", लेखा-परीक्षक की उन परिस्थितियों में एक सही रिपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी से संबंधित है, जब एसए 700 (संशोधित) के अनुसार एक राय बनाने में, लेखापरीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी राय में वित्तीय विवरणों में संशोधन जरूरी है।

किस प्रकार की संशोधित राय सही है, इसका निर्णय इन बातों पर निर्भर करता है:

- (क) संशोधन को जन्म देने वाले मामले की प्रकृति, अर्थात्, क्या वित्तीय विवरण तथ्यगत रूप से गलत हैं या, पर्याप्त उचित लेखा-परीक्षा प्रमाण हासिल करने में असमर्थता के मामले में, तथ्यगत रूप से गलत हो सकते हैं; और



(ख) वित्तीय विवरणों पर तथ्य के प्रभावों या संभावित प्रभावों की व्यापकता के बारे में लेखा-परीक्षक का निर्णय।

इसके अतिरिक्त, लेखा-परीक्षक, ऑडिटर रिपोर्ट में राय को तब संशोधित करेगा जब लेखा-परीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हासिल हुए ऑडिट साक्ष्य के आधार पर वित्तीय विवरण समग्र रूप से तथ्यगत गलत विवरण से मुक्त नहीं हैं:

वर्तमान मामले में, लेखा-परीक्षा के दौरान, सीए उमा को कुछ लेखा-परीक्षा साक्ष्य मिले, जो वित्तीय विवरणों में की गई पुष्टि के अनुरूप नहीं थे। इसलिए सीए उमा को अपनी रिपोर्ट को एसए 705 के अनुसार संशोधित करना चाहिए।

#### **निष्कर्ष:**

चूँकि सीए उमा ने ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, जो वित्तीय विवरणों में की गई पुष्टि के साथ अनुरूप नहीं हैं। सीए उमा को मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपनी राय बदलनी चाहिए।

- सीए उमा तब उचित राय प्रकट करेगा, जब वे पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विशेष रूप से या समग्र रूप से, गलत विवरण, वित्तीय विवरणों के लिए तथ्यगत हैं, लेकिन व्यापक नहीं हैं।
- सीए उमा एक विपरीत राय व्यक्त करेंगे, जहाँ लेखा परीक्षक, पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालता है कि विशेष रूप से या समग्र रूप से गलत विवरण वित्तीय विवरणों के लिए तथ्यगत और व्यापक दोनों हैं।

#### **(ख) सीएआरओ (CARO), 2020 के पैराग्राफ 3 का उपखंड (xviii):**

एक्सएमपी प्राइवेट लिमिटेड की दी गई स्थिति में, लेखा परीक्षक आरएस एंड कंपनी ने कंपनी के लेखा मामलों से जुड़ी चिंताओं के कारण इस्तीफा दे दिया। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 में चर्चित इस्तीफे और नियुक्तियों के संबंध में सभी अनुपालनों का पालन किया जा रहा है। ऑडिटर को सीएआरओ, 2020 में सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के उपखंड (xviii) के अनुसार यहाँ दिए गए रिपोर्ट की आवश्यकता होगी:

सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के उपखंड (xviii) में लेखा परीक्षक को रिपोर्ट करना है कि क्या वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा दिया गया है, यदि ऐसा है, तो क्या ऑडिटर ने बाहर निकलने वाले ऑडिटरों द्वारा उठाए गए मुद्दों, आपत्तियों या चिंताओं पर ध्यान दिया है।

**सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 का उपखंड (viii):**

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षकों ने देखा कि आयकर विभाग द्वारा एक सर्वे किया गया था और इसमें 5 लाख रुपये की अप्रलेखित बिक्री का पता चला था जो कि वर्ष के दौरान विभिन्न तिथियों पर नकद में की गई थी। एक्सएमपी प्रा. लि. ने सोना भी खरीदा है और लेन-देन को दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी ने अपनी गलती मान ली और आकलन अधिकारी के समक्ष इन लेनदेन का खुलासा किया और उस पर करों का भुगतान कर दिया। सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के उपखंड (viii) के अनुसार लेखा परीक्षक को सीएआरओ में रिपोर्ट करना होगा।

सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के उपखंड (viii) में लेखा परीक्षक को रिपोर्ट करना है - क्या बही-खाते में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर किया गया या प्रकट किया गया है। यदि हाँ, तो क्या पूर्व में दर्ज न की गई आय को अमुक वर्ष के दौरान बही-खातों में उचित तरीके से प्रलेखित किया गया है।

चूँकि ऊपर दिए गए सीएआरओ, 2020 के संदर्भ में रिपोर्ट करना लेखा परीक्षक के लिए एक वैधानिक दायित्व है और इसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षक से प्रबंधन का यह अनुरोध कि उपरोक्त लेनदेन की रिपोर्ट न की जाए, न्यायसंगत नहीं है।

(ग) उस टर्नओवर का आकलन करने में जिसे व्यवसाय भविष्य में बनाए रखने में समर्थ होगा, नीचे बताई बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए:

- (i) **ट्रेंड (प्रवृत्ति):** चाहे पूर्व में बिक्री लगातार बढ़ती रही हो या उनमें उतार-चढ़ाव रहा हो। इस घटना का उचित अध्ययन किया जाना चाहिए।
- (ii) **विपणन क्षमता:** क्या नए बाजारों में बिक्री का विस्तार करना संभव है या इनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा चुका है? प्रॉडक्ट के अनुसार आकलन किया जाना चाहिए।
- (iii) **राजनीतिक और आर्थिक विवेचना:** क्या सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों से अन्य देशों के लिए माल के बाजार के विस्तार को बढ़ावा मिलने की संभावना है? क्या पैदा होने वाली तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में बिक्री बढ़ने या घटने की संभावना है?
- (iv) **प्रतिस्पर्धा:** यदि अन्य निर्माता उसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या प्रतिस्पर्धा में बिकने वाले उत्पादों को सस्ती कीमत पर बाजार में उतारा जाता है, तो व्यवसाय के ऊपर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है? क्या प्रतियोगी उत्पादों की मांग बढ़ रही है? क्या कुल व्यापार में कंपनी का शेयर स्थिर है या इसमें उतार-चढ़ाव होता रहा है?

**प्रश्न 6**

- (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अंतर्गत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) क्या है? सीएआरओ 2020 के तहत सीआईसी को लेकर ऑडिटर द्वारा विचार की जाने वाली विशिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ क्या हैं? **(5 अंक)**
- (ख) एबी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुम्बई स्थित एक बड़ा फर्म है। एबी एंड कंपनी पीयर रिव्यू के अधीन है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पीयर समीक्षा के लिए फर्म को 30 जून, 2021 को सूचना प्राप्त हुई। एक्स एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, को पीयर रिव्यू प्रक्रिया पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। पीयर रिव्यू के पूरा होने पर, एक्स एंड कंपनी ने ऑडिटिंग मानकों के साथ कुछ गैर-अनुपालन देखा। एक्स एंड कंपनी ने एबी एंड कंपनी के साथ कोई भी अध्ययन साझा नहीं किया और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टिट्यूट के पीयर रिव्यू बोर्ड को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। टिप्पणी। **(5 अंक)**
- (ग) सीए राज एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर के ऑडिटर है। ऑडिट के दौरान उन्होंने पाया कि मौजूदा स्थल का नवीनीकरण किया गया है। ऑडिटोरियम को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया गया और अतिरिक्त ऑडिटोरियमों का निर्माण किया गया। CA, राज, ने ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया और वे इन कार्यों पर ऑडिटिंग के दौरान पुनर्विचार करना चाहते थे। कुछ परिस्थितियों की चर्चा करें जहां ऑडिट प्रोग्राम को ऑडिटर द्वारा उचित रूप से बदलना होगा।

या

श्रीमान एक्स एक कार्यरत चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। श्रीमान वाई कानूनी अदालत में मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं। एक्स एवं वाई ने अपनी पेशेवर विशेषज्ञता से जुड़े मामलों में एक-दूसरे को मदद करने का फैसला किया। इसी के अनुरूप, श्रीमान एक्स कानून की अदालत में सभी मुकदमेबाजी मामलों में श्री वाई की सिफारिश करता है और वाई वित्त और अन्य संबंधित उन मामलों से जुड़े सभी मामलों में एक्स से परामर्श करता है, जो विभिन्न मामलों में बहस करने के लिए उसके पास आते हैं, नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने पेशेवर काम के मुनाफे को आपस में साझा करना शुरू कर दिया। क्या श्रीमान एक्स व्यावसायिक कदाचार के लिए जिम्मेदार हैं? **(4 अंक)**

**उत्तर**

- (क) **प्रमुख निवेश कंपनियाँ:** आरबीआई मास्टर डायरेक्शन- प्रमुख निवेश कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, (उपर्युक्त मास्टर डाइरेक्शन को देखा जा सकता है), ये निर्देश

प्रत्येक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) पर लागू होंगे, अर्थात् गैर-बैंकिंग शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का कारोबार करने वाली वित्तीय कंपनी और जो अंतिम ऑडिटेड बैलेंस शीट की तिथि पर निम्नांकित शर्तों को पूरा करती है:-

- (i) यह ग्रुप कंपनियों में इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, बॉन्ड, डिबेंचर, कर्ज़ या ऋण में निवेश के रूप में अपनी नेट परिसंपत्ति का 90% से कम नहीं रखती हो;
- (ii) ग्रुप कंपनियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स में केवल प्रायोजक के रूप में इक्विटी शेयरों में निवेश (जारी होने की तिथि से 10 वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर इक्विटी शेयरों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय उपकरणों सहित) इसकी नेट परिसंपत्ति खंड (i) में वर्णित अनुसार 60% से कम नहीं हो;

बशर्ते कि InvITs को लेकर ऐसे सीआईसी का एक्सपोजर प्रायोजकों के रूप में उनकी होल्डिंग तक सीमित होगा और किसी भी समय, सेबी (SEBI) (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा इस संबंध में समय-समय पर किए संशोधन के अनुरूप निर्धारित यूनिट्स की न्यूनतम होल्डिंग और अवधि से अधिक नहीं होगा।

- (iii) तनुकरण या विनिवेश के उद्देश्य से ब्लॉक सेल के अलावा यह ग्रुप कंपनियों के शेयरों, बॉन्ड, डिबेंचर, कर्ज़ या लोन में अपने निवेश का ट्रेड नहीं करता है;
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45I(c) और 45I(f) में वर्णित के अलावा कोई अन्य वित्तीय गतिविधि संपन्न नहीं करता है

क. निवेश

- (i) बैंक जमा,
- (ii) मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स, जिसमें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और लिक्विड म्यूचुअल फंड शामिल है
- (iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ, और
- (iv) ग्रुप कंपनियों द्वारा जारी बांड या डिबेंचर,

ख. ग्रुप कंपनियों को ऋण देना और

ग. ग्रुप कंपनियों की ओर से गारंटी जारी करना।

**सीएआरओ 2020 के अनुसार, लेखा परीक्षक को यह रिपोर्ट करना आवश्यक है कि-**

- (i) क्या कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए नियमों में परिभाषित एक कोर

निवेश कंपनी (सीआईसी) है, यदि हाँ, तो क्या यह सीआईसी के मानदंडों को पूरा करती है, और यदि कंपनी छूट प्राप्त या अपंजीकृत सीआईसी है, तो क्या यह ऐसे मानदंडों [पैराग्राफ 3(xvi) (c)] को पूरा करती रहती है;

(ii) क्या ग्रुप हिस्से के रूप में ग्रुप के एक से अधिक सीआईसी हैं, यदि हाँ, तो उन सीआईसी की संख्या बताएँ जो ग्रुप का हिस्सा हैं; [पैराग्राफ 3(xvi) (d)]

- (ख) (i) ऑन-साइट समीक्षा पूरी करने के बाद, पीयर रिव्यूअर अपनी राय में, सिस्टम और प्रक्रियाएं त्रुटिपूर्ण हैं या इसके संदर्भ में किसी मामले में गैर-अनुपालन किया गया है जो उनके ध्यान में आया हो या यदि कोई अन्य मामला है जहां वह स्पष्टीकरण मांगना चाहता है, तो पीयर रिव्यूअर बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले, प्रारंभिक रिपोर्ट में अपने निष्कर्षों को प्रैक्टिस यूनिट को सूचित करेगा।
- (ii) प्रैक्टिस यूनिट, तथ्यों की प्राप्ति की तारीख के 5 दिनों के भीतर, रिव्यूअर को लिखित में कोई सबमिशन या रिप्रेजेंटेशन देगी। (अर्थात् प्रारंभिक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया)।
- (iii) ऑन-साइट समीक्षा के अंत में यदि रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट से प्राप्त उत्तर से संतुष्ट है, तो वह अपने प्रारंभिक निष्कर्षों, प्रैक्टिस यूनिट द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को जिस तरीके से निपटाया गया है, उनके साथ बोर्ड को एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की एक प्रति प्रैक्टिस यूनिट को भी भेजी जाएगी।
- (iv) यदि समीक्षक के विचार से प्रैक्टिस यूनिट द्वारा दी गई प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है, तो समीक्षक उसी अनुरूप बोर्ड को एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके कारण मौजूद होंगे। समीक्षक प्रारंभिक निष्कर्ष (अर्थात् प्रारंभिक रिपोर्ट), प्रैक्टिस यूनिट द्वारा दी गई प्रतिक्रिया (प्रारंभिक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया) और जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं से निपटा गया है, उसे भी प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट की एक प्रति प्रैक्टिस यूनिट को भी भेजी जाएगी।
- (v) संशोधित रिपोर्ट के मामले में, बोर्ड ऊपर बताए अनुसार रिपोर्ट जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद "फॉलो ऑन" समीक्षा का आदेश देगा। यदि बोर्ड ऐसा निर्णय लेता है, तो एक वर्ष की अवधि को घटाया जा सकता है, लेकिन यह अवधि रिपोर्ट जारी होने की तारीख से छह महीने से कम नहीं होगी।

निष्कर्ष: वर्तमान मामले में, एक्स एंड कंपनी पीयर रिव्यूअर के संदर्भ में, एबी एंड कंपनी में सिस्टम और प्रक्रियाएं दोषपूर्ण हैं; इसलिए, पीयर रिव्यूअर को रिपोर्ट सीधे बोर्ड को प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।

**वैकल्पिक उत्तर:**

**रिव्यूअर (समीक्षक) बनने की योग्यता:** सहकर्मी समीक्षा वक्तव्य के अनुसार,

1. एक सहकर्मी समीक्षक:-
  - (क) कम से कम 7 वर्ष के लेखापरीक्षा अनुभव के साथ कार्यरत सदस्य होना चाहिए।
  - (ख) यदि कोई सदस्य उद्योग से प्रैक्टिस में चला गया है और वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पास उद्योग में कम से कम 10 वर्ष का ऑडिट अनुभव और प्रैक्टिस में कम से कम 3 वर्ष का ऑडिट अनुभव होना चाहिए।
  - (ग) बोर्ड द्वारा तय अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और सहकर्मी समीक्षा के लिए अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. सदस्य को रिव्यूअर के रूप में नियुक्त किए जाने पर निम्नांकित को प्रस्तुत करना होगा-
  - (क) एक सहकर्मी समीक्षक के रूप में सूचीबद्ध होने के समय बोर्ड द्वारा निर्धारित घोषणा।
  - (ख) एक सहकर्मी समीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सहमति देते समय इस कथन के अनुलग्नक ए के अनुसार गोपनीयता की घोषणा।
3. एक सदस्य प्रैक्टिस यूनिट के समीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं होगा, यदि-
  - (i) उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/कार्यवाही लंबित हो;
  - (ii) वह किसी भी समय काउंसिल या अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा व्यावसायिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया हो।
  - (iii) भारत के भीतर या बाहर एक सक्षम अदालत द्वारा उसे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध और कारावास के साथ दंडनीय अपराध का दोषी करार दिया गया हो,
  - (iv) उसका या उसके पार्टनरों का अभ्यास इकाई में कोई दायित्व या हितों का टकराव हो।
  - (v) उन्होंने प्रैक्टिस यूनिट के किसी भी पार्टनर के अधीन प्रशिक्षण/आर्टिकलशिप हासिल की हो।

4. एक समीक्षक नियुक्ति की तिथि से अगले दो वर्षों की अवधि के लिए प्रैक्टिस यूनिट से किसी भी पेशेवर असाइनमेंट को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, उसने उस प्रैक्टिस यूनिट के समीक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रैक्टिस यूनिट से कोई पेशेवर असाइनमेंट स्वीकार न किया हो।

वर्तमान परिदृश्य में, एक्स एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, को सहकर्मि समीक्षा प्रक्रिया पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। एक्स एंड कंपनी एक फर्म है न कि एक व्यक्तिगत सदस्य। इसलिए, उपरोक्त पात्रता मानदंड के अनुसार, केवल एक व्यक्ति को सहकर्मि समीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है न कि एक फर्म को। इसलिए, पीयर रिव्यूअर के रूप में एक्स एंड कंपनी की नियुक्ति सही नहीं है।

- (ग) मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाउस के दिए गए मामले में, सीए राज ने देखा कि मौजूदा स्थान का नवीनीकरण किया जा रहा है, छोटे-छोटे ऑडिटोरियमों में विभाजित किया जा रहा है और अतिरिक्त ऑडिटोरियमों का निर्माण किया गया है। चूंकि सीए राज ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाउस को ध्यान में रखते हुए ऑडिट (लेखापरीक्षा) प्रोग्राम तैयार किया था, लेकिन ऑडिट के दौरान परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है और इसलिए सीए राज को ऑडिट प्रोग्राम में उपयुक्त परिवर्तन करना चाहिए।

नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं जहाँ ऑडिट प्रोग्राम को उचित तरीके से बदलना होगा:

- (1) यदि ऑडिट प्रक्रियाओं को टर्नओवर की एक निश्चित राशि के लिए डिज़ाइन किया गया था और बाद में उसकी मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जब ऑडिट प्रक्रियाओं के बाद लेखा संगठन, प्रक्रियाओं और कर्मियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हों।
- (2) जहाँ ऑडिटिंग के दौरान, यह पता चला है कि आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ उतनी प्रभावी नहीं थीं जितनी कि ऑडिटिंग प्रोग्राम तैयार किए जाने के समय मानी गई थीं।
- (3) जहाँ बही कर्ज़ों की राशि में या पिछले वर्ष की तुलना में स्टॉक के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई हो।
- (4) जब लेखापरीक्षा के दौरान संदेह उत्पन्न हुआ हो या सूचना प्राप्त हुई हो कि कंपनी की परिसंपत्तियों का गबन किया गया हो।

यह गौर किया जा सकता है कि लेखापरीक्षा की प्रगति के रूप में ऑडिटिंग प्लान और संबंधित कार्यक्रम पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का पुनर्विचार आंतरिक नियंत्रण की ऑडिटिंग की समीक्षा, उसके प्रारंभिक मूल्यांकन और उसके अनुपालन और मूल प्रक्रियाओं के परिणाम पर आधारित होता है।

या

(ग) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग I के उपखंड (2) के अनुसार, किसी अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट को व्यावसायिक कदाचार का दोषी माना जाता है, यदि वह संस्थान के सदस्य या किसी साथी या किसी सेवानिवृत्त साथी या मृत साथी के कानूनी प्रतिनिधि, या किसी अन्य पेशेवर निकाय के सदस्य के अलावा किसी भी व्यक्ति को या भारत में या भारत के बाहर समय-समय पर ऐसी पेशेवर सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसी निर्धारित योग्यता रखने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ, उनके व्यावसायिक कार्य की फीस या मुनाफे में कोई हिस्सा, कमीशन या दलाली का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करता है या इसकी अनुमति देता है या भुगतान करने या अनुमति देने के लिए सहमत होता है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के उपखंड (3) में उल्लेख किया गया है कि किसी कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट को तब व्यावसायिक कदाचार का दोषी माना जाता है, जब वह किसी उस व्यक्ति के पेशेवर कार्य के मुनाफे के किसी भी हिस्से को स्वीकार करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, जो संस्थान का सदस्य न हो।

हालांकि, संस्थान का एक कार्यरत सदस्य अन्य पेशेवर निकायों के ऐसे सदस्यों के साथ या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 53-ए के तहत परिषद द्वारा तय की गई योग्यता रखने वाले ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ अपने पेशेवर व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली फीस या लाभ साझा कर सकता है। उक्त नियमन के तहत, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया" (एडवोकेट) का सदस्य शामिल है।

इसलिए, श्रीमान वाई, एक कार्यरत एडवोकेट, बार काउंसिल के सदस्य हैं, जिन्हें श्रीमान एक्स के साथ अपने पेशेवर कार्य के लाभ का हिस्सा साझा करने की अनुमति है। इसलिए, श्रीमान एक्स, एक कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्हें उपरोक्त किसी भी खंड के तहत श्री वाई को/उनसे लाभ का हिस्सा भुगतान करने और स्वीकार करने के लिए दोषी नहीं माना जाएगा।